

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दोसा)
 गा.प. ~~कुलाई~~ सरकार बनाम सरकार

किरम मुकदमा 88 RTA व 136 LR Act. मु० नं० 11/16

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5-4-22	<p>पञ्जावली निर्णय हेतु पेशा वाद के तथ्यों, सुलंगन देस्तावेज, जवाब स्टेट व प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य पर गौर किया गया। ग्राम पंचायत कुलाई के तत्कालीन सरपंच रामेश्वर द्वारा ग्राम वासुदा की वाद की म० सं. 21 में वांछित भूमि की ग्राम पंचायत कुलाई के इजाजतकारी भूमि मानते हुये नमशा हेतु में तरफ़ीम दुधली का अनुतोष चाहा है।</p> <p>अधारी सं. 2 वा हका 01R10 गा.पञा पेशा कर पदाकार बनने के पश्चात अतिरिक्त स्थान करते हुये ख. नं. 3412 व 3413 धारी के पूर्व में द्वारा अधाशीगोल के पिता खैरतीलाल व अन्य लोग व्यक्तियों के बेचान करने तथा जिला मजस्ट्रेट महोदय जयपुर द्वारा 1983 में आवादी भूमि में अमानतगण होने की कथन किया।</p> <p>पञ्जावली में मौका कमिश्नर तहसीलदार सिकराय द्वारा दि. 24.2.18 व उपतहसीलदार सिकराय द्वारा 18.5.18 की मौका रिपोर्ट बनाकर पेश की।</p> <p>तहसीलदार द्वारा दि. 24.2.18 की तैयार मौका रिपोर्ट में 4460 है. भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करने व मौका नमशा।</p> <p>मौका बनाते हुये, दुसमों की तरफ़ीम, मौका नमशा अनुसार करने की अनुशंसा की है।</p> <p>उपतहसीलदार हका 18.5.18 की मौका रिपोर्ट में श्री उपरोक्त मौका रिपोर्ट (तहसीलदार सिकराय दि. 24.2.18) के तथ्यों को दोहराया गया।</p> <p>प्रतिवादीगोल के जवाब पर ^{मौका रिपोर्ट} जवाबी द्वारा Computer Claim पेश कर मां सं. 14 अर्देश व शून्य होने का अनुतोष चाहा।</p> <p>प्रतिवादीगोल द्वारा जवाब-उल-जवाब पेश करते हुये वादी की Computer Claim साक्ष्य व तथ्य आधारीत नहीं होने के कारण खारिज करने का आग्रह किया गया।</p> <p>प्रतिवादीगोल द्वारा लिखित कहल पेश करते हुये वर्तमान ख. नं. 161 की भूमि की जिला मजस्ट्रेट महोदय जयपुर के आदेश दि. 15.6.1983 अनुसार कृषि भूमि सं आवादी भूमि दर्ज करने तथा मौका रिपोर्ट अनुसार नमशा तरफ़ीम का अनुतोष चाहा है।</p> <p>जवाब स्टेट मौका कमिश्नर की दोनों रिपोर्ट, जिलाधीश महोदय के आदेश दि. 15.6.83 अनुसार यह स्पष्ट है कि ख. नं. 161 कृषि भूमि के वजह आवादी भूमि की दिहसा है तथा प्रतिवादी पक्ष मौका रिपोर्ट के साथ</p>	

जवाबदार

उपखण्ड अधिकारी

नारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
ग्राम पंचायत
उनवान सस्कर बनान ... सारकार व अन्य

नंबर व त
अहकाम
हुकम की
में जारी हु

88 RTA व 136 LRAet

मुकदमा नं० 11/16 निर्णय दि० 5-4-22

संबंधन नजरी नमूना अनुसार मॉके पर काबिल हैं।

आदेश

विना सस्कर मने जयपुर के आदेश दि. 15.6.83 के अनुसार में
ख. नं. 161 की दूध भूमी की आबादी भूमी दर्ज करने व उपवर्गीकरण
सिकदरा की मॉके रिपोर्ट 18.5.18 के साथ संबंधन नमूने में
रंग से दखिल विवरण का नमूना हेतु में दर्ज करने के आदेश
उपवर्गीकरण सिकदरा को दिये जाते हैं। उक्त नमूना (दि. 18.5.18
की रिपोर्ट के साथ संबंधन) निर्णय का भाग रहेगा।
मुताबिक आदेश दि. 18.5.18 तदनुसार जारी होकर पंजाब
फैसल शुमार हो।

(Handwritten Signature)
(राजेश्वरी)
5.4.22

उपखण्ड अधिकारी
सिकदरा